न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 455/2024
अनवान : –

1. महावीर पुत्र फकीरा जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. फकीरा पुत्र दुलाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. रणजीत पुत्र दुलाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
3. भागाराम पुत्र दुलाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
4. खेताराम पुत्र दुलाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
5. किताबो पुत्री दुलाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।
8. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा साहवा तहसील तारानगर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 28/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 144/140 के ख0न0 140 की 5.4130 हैक्ट, 191 की 2.0230 हैक्ट, 192 की 3.7430 हैक्ट कुल 11.1790 हैक्ट भूमि में से 1783/11179 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बालासर तहसील नोहहर के खाता स0 134/109 के ख0न0 397/4 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 113/91 की कुल 0.2530 हैकट भूमि पारी देवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 व पारी देवी के नाम दर्ज है। पारी देवी जो की वाद की माता है का देहान्त हो चुका है। जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 व पारी के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 बहिब काबिज है एवं पारी के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 4 बहिब काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही [illegible] है।

वादी ने प्रतिवादीगण को [illegible] वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा [illegible] दिन तक आजकल [illegible]कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश [illegible]या गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.30 15:01:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र पारी देवी पत्नी फकीरा राम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 व पारी देवी के नाम दर्ज है। पारी देवी जो की वाद की माता है का देहान्त हो चुका है। जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 व पारी के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 बहिब काबिज है एवं पारी के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 4 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 144/140 के [illegible] हैक्ट, 191 की 2.0230 हैक्ट, 192 की 3.7430 हैक्ट कुल 11.1790 हैक्ट भूमि में से 1783/11179 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बालासर तहसील नोहहर के खाता स0 134/109 के ख0न0 397/4 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.30 15:01:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 113/91 की कुल 0.2530 हैकट भूमि पारी देवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 व पारी देवी के नाम दर्ज है। पारी देवी जो की वाद की माता है का देहान्त हो चुका है। जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 व पारी के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 बहिब काबिज है एवं पारी के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 4 बहिब काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 144/140 के ख0न0 140 की 5.4130 हैक्ट, 191 की 2.0230 हैक्ट, 192 की 3.7430 हैक्ट कुल 11.1790 हैक्ट भूमि में से 1783/11179 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बालासर तहसील नोहहर के खाता स0 134/109 के ख0न0 397/4 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि उक्त दोनो खातों की भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 को प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 113/91 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि में पारी देवी पत्नी फकीराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.30 15:01:03 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 455/2024

अनवान : –

1. महावीर पुत्र फकीरा जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. फकीरा पुत्र दुलाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. रणजीत पुत्र दुलाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
3. भागाराम पुत्र दुलाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
4. खेताराम पुत्र दुलाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
5. किताबो पुत्री दुलाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक खुंईया तहसील नोहर।
8. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा साहवा तहसील तारानगर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 455 सन 2024 निर्णय दिनांक 28/04/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 144/140 के ख0न0 140 की 5.4130 हैक्ट, 191 की 2.0230 हैक्ट, 192 की 3.7430 हैक्ट कुल 11.1790 हैक्ट भूमि में से 1783/11179 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बालासर तहसील नोहहर के खाता स0 134/109 के ख0न0 397/4 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि उक्त दोनो खातों की भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 को प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता स0 113/91 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि में पारी देवी पत्नी फकीराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 3 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.30 15:01:03 IST
Reason: SelfAttested